मांग संख्या .

मुख्य शीर्ष 2049

मद क्रमांक 1

वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम नई दिल्ली से राज्य शासन को प्राप्त ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु रुपये 30,000 के व्यय की आवश्यकता है। व्यय की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। प्रथम अनुपूरक अनुमान में मांग संख्या-.. भारित विनियोग लोक ऋण के अन्तर्गत इस हेतु किये गये प्रावधान को विलोपित किया जाता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मध्यप्रदेश भू-अधिनियम 1960 के अधीन भू-स्वामियों के अधिक भूमि राज्य में वेष्ठित करने के कारण क्षतिपूर्ति पर ब्याज के अन्तर्गत ग्राम बाग सेवनिया में आर्मी वेलफेयर हाऊसिंग सोसायटी भोपाल को ब्याज की राशि दिया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,75,300 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01

मुख्य शीर्ष 2013

मद क्रमांक 1

इस वर्ष मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद में रूपये 7.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है, जिसमें से रुपये 4.50 करोड़ राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अत: आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति एवं अतिरिक्त मांग सहित रूपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

मीसा/डी.आई.आर. में निरुद्ध रहे व्यक्तियों को दिनांक 1.4.2008 से लोक नायक जय प्रकाश सम्मान निधि दिये जाने हेतु रुपये 8.75 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिवार को रुपये 5,000 एवं गंभीर रुप से घायल को रुपये 2,000 की आर्थिक सहायता के स्थान पर रुपये 10,000 मृतकों के परिवार एवं रुपये 5,000 गंभीर रुप से घायल को प्रदान किये जाने की इस वृद्धि के फलस्वरुप रुपये 1.40 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: रुपये 1,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

दंगा पीड़ितों को पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 90.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

अत: आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1

राज्य वित्त आयोग के गोमंतिका स्थित कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था पर राशि रुपये 75,000 का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07
मुख्य शीर्ष 2039

मद क्रमांक 1

आयुक्त, आबकारी कार्यालय के अंतर्गत भांग क्रय करने हेतु रूपये 25.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आबकारी संचालनालय अंतर्गत स्पिरिट क्रय के देयक भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 10.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका के मुद्रण पर सीमान्त कृषकों को प्रथम बार, नि:शुल्क पुस्तिका वितरण करने का निर्णय लिया गया है। उक्त हेतु रु. 10,23,00,000 व्यय होना संभावित है। इसमें रु. 3.00 लाख परिवहन व्यय सम्मिलित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रु. 10,23,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मध्यप्रदेश में भू-अभिलेखों के आधुनिकीकरण के लिये नेशनल लैण्ड रिकार्ड्स मोडर्नाईजेशन प्रोग्राम के तहत संचालित योजना की 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। इस मद में केन्द्रांश की राशि रुपये 12,36,27,500 एवं राज्यांश की उतनी ही राशि के लिये रुपये 100 के प्रतीक राशि की आवश्यकता है। राज्यांश राशि की व्यवस्था अन्य मद में बचत की राशि से की जायेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,36,27,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 3 - 4

राजस्व मंडल ग्वालियर को पी.ओ.एल. हेतु रुपये 25,000 एवं वाहन क्रय हेतु रुपये 8.00 लाख इस तरह कुल रुपये 8.25 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1 - 2

मध्यप्रदेश स्थित 3 प्रोजेक्ट टाईगर क्षेत्र के विकास के लिये सामग्री एवं पूर्तियां, क्षतिपूर्ति एवं गोपनीय सेवा व्यय अन्तर्गत अतिरिक्त राशि व्यय होने की संभावना है। प्रतिवर्ष केन्द्रांश उपलब्ध कराया जाता है। राज्यांश की प्रतिपूर्ति अन्य मदों की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3 - 5

राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों के विकास अन्तर्गत मजदूरी, वाहन अनुरक्षण एवं अन्य प्रभार अंतर्गत राशि रुपये 57.50 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11
मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

लघु उद्योगों की संगणना योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि रु. 68,55,800 का व्यय चतुर्थ संगणना के मानदेय मद में किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजनार्थ रु. 68,55,800 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12
मुख्य शीर्ष 6801

मद क्रमांक 1

प्रदेश में विद्युत प्रदाय की व्यवस्था की सुनिश्चितता के लिये विद्युत वितरण कंपनियों को कार्यशील पूंजी हेतु ऋण रुपये 493.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसमें से रुपये 353.00 करोड़ की व्यवस्था विभाग द्वारा समर्पण कर की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,93,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17
मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 1

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु इस वित्तीय वर्ष में रू. 4.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 4,00,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

चिकित्सा संस्थाओं से उत्पन्न होने वाले जैव चिकित्सा अवशिष्टो का वैज्ञानिक पद्धति से विनिष्टीकरण किये जाने हेतु रुपये 663.00 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में राज्यांश का 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इस हेतु रू. 45.00 करोड़ का व्यय संभावित है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की मांग संख्या-19 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अत: इस प्रयोजन हेतु रू. 45,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 3

शहडोल जिले के ब्योहारी में 30 बिस्तरीय अस्पताल भवन का 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन में उन्नयन हेतु रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण पर चालू वित्तीय वर्ष में रु. 25.00 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचत से की जावेगी।

	जिले का नाम	स्थान का नाम	राशि (लाख में)
1.	भिण्ड	मनहद	5.00
2.	गुना	तेलीगांव	5.00
3.	सीहोर	अमलाहा	5.00
4.	बैतूल	बरखेड़ा व मोरसा	10.00

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20
मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 1

भारत सरकार की गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के समतुल्य राशि राज्य शासन व्दारा उपलब्ध कराने हेतु रुपये 31,32,80,000 की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,32,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

भारत सरकार की गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के समतुल्य राशि राज्य शासन व्दारा उपलब्ध कराने हेतु रुपये 38,13,96,000 की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,13,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

प्रदेश के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार से कुल राशि रुपये 10.00 करोड़ प्राप्त हुई है। इस राशि के उपयोग हेतु बजट प्रावधान की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23
मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 1-4

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत क्रियान्वित बाण सागर परियोजना यूनिट-1 व यूनिट-2, वरियारपुर तथा सिंध परियोजना-व्दितीय चरण हेतु अतिरिक्त सहायता भारत सरकार से तथा ऋण नाबार्ड से प्राप्त कर की जायेगी। इन योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2008-09 में रुपये 280.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित होने से रुपये 280.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1 - 6

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अन्तर्गत मजदूरी, कार्यालय व्यय, परीक्षा व प्रशिक्षण तथा अन्य प्रभार मदों में रुपये 71.03 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 71,03,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7 - 13

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अन्तर्गत जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना में मजदूरी, कार्यालय व्यय एवं डिक्रीधन का भुगतान मदों में स्वीकृत बजट से रुपये 68.97 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,000 के अनुपूरक विनियोग एवं रुपये 68,72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 14

फास्ट ट्रेक न्यायालय के अन्तर्गत अभिभाषकों की फीस में स्वीकृत बजट के अतिरिक्त रुपये 10.00 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 15 - 19

विधान सभा चुनाव / लोक सभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये व्यवसायिक सेवाओं की अदायगी, पेट्रोल तेल, अन्य प्रभार, परिवहन व्यवस्था एवं मुद्रण तथा प्रकाशन के अन्तर्गत स्वीकृत बजट के अतिरिक्त रुपये 18.50 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 30

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 1

राष्ट्रीय ग्रामीण योजना–गारंटी योजना के अर्न्तगत कन्वर्जेन्स के लिये राशि रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 2

विकास खण्ड कार्यालय योजना अन्तर्गत राशि रुपये 14.74 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,74,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन हेतु रू. 58.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 58,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

मद क्रमांक 4

भारत सरकार व्दारा गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अंतर्गत राज्य को उपलब्ध कराई गई राशि का 20 प्रतिशत स्वजल धारा कार्यक्रम हेतु रूपये 28.66 करोड़ उपलब्ध कराये जाने है।

अत: उपर्युक्त प्रयोजन हेतु रूपये 28,66,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32

मुख्य शीर्ष 2015

मद क्रमांक 1

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत निर्वाचन मद में रूपये 43.00 लाख की राशि का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रु. 43,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2041

मद क्रमांक 2

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार मद में वाहन कर हेतु रु. 20.00 लाख की राशि का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रु. 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

मद क्रमांक 3

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत प्रशासनिक सेवायें मद में विज्ञापन दरों में वृध्दि के फलस्वरुप रु. 15.00 लाख की राशि का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रु. 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 4

जनसंपर्क विभाग की तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत विकास प्रचार मद में विज्ञापन दरों में वृध्दि के फलस्वरुप रु. 10.00 लाख की अतिरिक्त राशि व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रु. 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2205

मद क्रमांक 5

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत कला संस्कृति में विज्ञापन एवं प्रचार हेतु रु. 40.00 लाख की अतिरिक्त राशि व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रु. 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 6

जनसंपर्क विभाग के अन्तर्गत चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य मद में प्रचार-प्रसार हेतु रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त राशि व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 7

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत जल पूर्ति तथा सफाई मद में प्रचार-प्रसार हेतु रु. 100.00 लाख की अतिरिक्त राशि व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रु. 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2220

मद क्रमांक 8

जनसंपर्क विभाग निर्देशन एवं प्रशासन के अंतर्गत प्रचार प्रसार हेतु रुपये 8,00,00,000 की अतिरिक्त राशि का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9

जनसपर्क विभाग के क्षेत्र प्रचार योजना अंतर्गत मेला, उत्सव, प्रदर्शनी मद में रु. 8.00 लाख की अतिरिक्त राशि व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रु. 8,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 10

मध्य प्रदेश सूचना केन्द्र नई दिल्ली के व्यवसायिक सेवा एवं परिवहन व्यवस्था मद में रुपये 2.50 लाख की अतिरिक्त राशि व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11 - 12

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत जन कल्याणकारी योजनाओं, चलचित्र इकाई की स्थापना एवं अन्य प्रभार मद में प्रचार-प्रसार हेतु रु. 70.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रु. 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

जनसंपर्क विभाग के अन्तर्गत विशेष अवसरों पर निर्धन लोगों को शासकीय योजनाओं से परिचित कराने के लिये प्रचार-प्रसार हेतु रुपये 2.50 करोड़ आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्रदाय किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु द्वितीय अनुपूरक अनुमान में रुपये 2.50 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 14

जनसंपर्क विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गो का कल्याण मद में प्रचार-प्रसार हेतु रुपये 50,00,000 की अतिरिक्त राशि व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 15

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम मद में रु. 50.00 लाख की अतिरिक्त राशि व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रु. 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2701

मद क्रमांक 16

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत मुख्य तथा मध्यम सिंचाई मद में प्रचार-प्रसार हेतु रु. 100.00 लाख की अतिरिक्त राशि व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रु. 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 17

जनसंपर्क विभाग के उद्योग मद में प्रचार-प्रसार हेतु रुपये 100.00 लाख की अतिरिक्त राशि व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

मद क्रमांक 18

जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत सड़क सेतु मद में प्रचार-प्रसार हेतु रु. 80.00 लाख की अतिरिक्त राशि व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रु. 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1 - 12

आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित विशेष पिछड़ी जनजाति संचालनालय में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं कार्यालय व्यय हेतु चालू वर्ष में रू. 11.99 लाख का व्यय होना संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 1200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विभागान्तर्गत अमले को भुगतान हेतु रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007 में भूमिहीन मजदूरों को प्रसूति, छात्रवृत्ति, मेधावी छात्र पुरस्कार, विवाह, चिकित्सा, दुर्घटना में मृत्यु पर अनुग्रह/अंत्येष्टि सहायता दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु रुपये 540.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या 13 मुख्य शीर्ष 2401 से समर्पित कर की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 1

सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत गेहूं उपार्जन पर किसानों को प्रोत्साहन राशि हेतु रूपये 64,85,60,000 की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 64,85,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्न योजना के लिये रुपये 93.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 93,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना हेतु भारत शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार राज्य शासन को 15 प्रतिशत राशि राज्यांश के रुप में उपलब्ध कराना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 30.00 करोड़ की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 41 मुख्य शीर्ष 4210 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 2

केन्द्र प्रवर्तित गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु निर्धारित एलोकेशन अनुसार ग्रामीण पाइप जलपूर्ति योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में राज्यांश के रुप में रुपये 500.00 लाख तथा केन्द्रांश के रुप में रुपये 500.00 लाख कुल रुपये 1000.00 लाख की

आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 3

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 1858 ग्रामीण ग्रेन बैंक की परिवहन व्यवस्था हेतु 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रुप में रुपये 1800/-प्रति ग्रेन बैंक के मान से कुल रुपये 33.45 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,45,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 1858 ग्रामीण ग्रेन बैंक हेतु रुपये 226.68 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,26,68,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा रुपये 368.80 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,68,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6

भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में क्रिटीकल गेप एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु भारत सरकार द्वारा रुपये 731.25 लाख की राशि स्वीकृत की है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,31,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

भारत सरकार द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए संरक्षण सह-विकास योजना अंतर्गत राशि निर्गमित की है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 2754.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,54,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 8

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007 में भूमिहीन मजदूरो को प्रसूति, छात्रवृत्ति, मेघावी छात्र पुरस्कार, विवाह, चिकित्सा, दुर्घटना में मृत्यु पर अनुग्रह/अंत्येष्टि सहायता दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत रुपये 360.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या 41 मुख्य शीर्ष 2401 से समर्पित कर की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 9

आदिवासी क्षेत्रों में 10 जिला चिकित्सालयों के भवनो का उन्नयन/निर्माण रुपये 9728.71 लाख की लागत से कराया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 10

आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित होस्टल / आश्रम में पेयजल व्यवस्था एवं सेनेटरी कार्य हेतु रुपये 49.23 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 49,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 11

केन्द्र प्रवर्तित गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से समतुल्य राज्यांश का व्यय किया जाना है। इस हेतु आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में नलकूप खनन के कार्यो हेतु केन्द्रांश के रुप में रुपये 5.00 करोड एवं राज्यांश के रुप में रुपये 5.00 करेड इस प्रकार कुल रुपये 10.00 करोड का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 12

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों हेतु भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत विविध विकास कार्य एवं अभिनव योजना हेतु निर्गमित राशि के प्रावधान हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 3229.25 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,29,25,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 13

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत आश्रम शाला भवनो के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 200.00 लाख केन्द्रांश के प्रावधान की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 14

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में मध्यम परियोजनाओं के निर्माण कार्य अंतर्गत बरचर परियेजना हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 57 मुख्य शीर्ष 4700 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों के स्थान पर अतिथि विद्वानों के लिये मानदेय की दरों के पुनरीक्षित किये जाने के फलस्वरुप अतिरिक्त राशि रुपये 1.20 करोड़ का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 1

इंदौर में आई.आई.टी. की स्थापना हेतु भू-अर्जन किये जाने के लिये रुपये 42.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित प्राथमिक शालाओं में संविदा शिक्षकों को वेतन/वेतन एरियर्स के भुगतान हेतु इस वित्तीय वर्ष में रुपये 900.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 41 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,00,000/ के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

आदिवासी विकास विभाग व्दारा संचालित माध्यामिक शालाओं में संविदा शिक्षकों को वेतन/वेतन एरियर्स के भुगतान हेतु इस वित्तीय वर्ष में रुपये 600.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 41 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000/ के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 3

केन्द्र प्रवर्तित गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु निर्धारित एलोकेशन अनुसार ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण हेतु अनुदान योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में राज्यांश के रुप में रुपये 167.57 लाख तथा केन्द्रांश के रुप में रुपये 167.57 लाख कुल रुपये 335.14 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,35,14,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236

मद क्रमांक 4

आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के लिए खाद्य योजना हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 864.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 1 - 2

राज्य महिला आयोग में आयोग कार्यालय के लिये मजदूरी मद में रुपये 1.32 लाख एवं परिवहन मद अन्तर्गत रुपये 15.00 लाख कुल रुपये 16,32,000 के अतिरिक्त राशि व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 10.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 1

केन्द्र प्रवर्तित योजना औद्योगिक अधोसंरचना उन्नयन योजना अन्तर्गत चंदेरी परियोजना हेतु सहायता अन्तर्गत राज्यांश की राशि रुपये 196.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,96,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2-3

रेशम उद्योग के विकास कार्य हेतु मजदूरी मद में रूपये 4.06 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 4,06,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 58
मुख्य शीर्ष 2245

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश के सूखा प्रभावित घोषित जिलों में फसलों को हुई क्षति के कारण कृषक खातेदारों को सहायता अनुदान राशि के वितरण एवं रोजगार मूलक कार्यो हेतु रुपये 50.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि व्यय होने की संभावना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2

मध्यप्रदेश के सूखा प्रभावित घोषित जिलों में पेयजल परिवहन एवं पेयजल व्यवस्था के लिये वर्ष 2008-09 के शेष माहों में संभावित व्यय के लिये रुपये 50.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 3

बाढ़, चक्रवात आदि आनुग्राहिक राहत के नगद दान के अन्तर्गत संभावित व्यय के लिये रुपये 20.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

आपदा राहत निधि में अन्तरण प्रविष्टि के लिये रुपये 2,77,80,50,000 का प्रावधान किया जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,77,80,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 5

प्रदेश के कुछ जिलों में नैसर्गिक आपदाओं के कारण कृषक खातेदारों को सहायता अनुदान राशि के वितरण एवं अन्य व्यय हेतु रुपये 30.00 करोड़ के अतिरिक्त राशि का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 63
मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 1

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग के नौ कर्मचारियों को खादिमुल हुज्जाम की हैसियत से सऊदी अरब भेजे जाने हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रूपये 9.21 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अत: आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 9,21,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 1

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना हेतु भारत शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार राज्य शासन को 15 प्रतिशत राशि राज्यांश के रुप में उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 15.00 करोड़ की

आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति मांग संख्या 64 मुख्य शीर्ष 4210 से इतनी ही राशि समर्पित कर की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 2

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार से पीड़ित लोगो को समय से प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज कराने हेतु भारत सरकार की योजनान्तर्गत टेलीफोन हैल्पलाईन स्थापित करने हेतु रुपये 11.92 लाख का व्यय संभावित है। व्यय का 50 प्रतिशत रुपये 5.96 लाख केन्द्रांश होगा तथा राज्यांश के व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,96,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 3

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना 2007 में भूमिहीन मजदूरो को प्रसूति, छात्रवृत्ति, मेघावी छात्र पुरस्कार, विवाह, चिकित्सा, दुर्घटना में मृत्यु पर अनुग्रह/अंत्येष्टि सहायता दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति इतनी ही राशि मांग संख्या 64 मुख्य शीर्ष 2401 से समर्पित कर की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 4

अनु. जाति/जनजाति के कृषको के कुओ तक विद्युत लाइन का विकास, भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्राप्त राशि से किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 229.18 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,29,18,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 5

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में 17 जिला चिकित्सालयों के भवनो का उन्नयन/निर्माण रुपये 20934.96 लाख की लागत से कराया जाना है एवं शासकीय पोलीक्लीनिक (सिविल डिस्पेंसरी) लधेडी, जिला ग्वालियर में आपरेशन थियेटर, लेबर रुम, टायलेट निर्माण तथा विद्युत कार्य कराया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 75.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतो से की जावेगी।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

मद क्रमांक 6

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित होस्टल / आश्रम में पेयजल व्यवस्था एवं सेनेटरी कार्य हेतु रुपये 200.43 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,43,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 7

केन्द्र प्रवर्तित गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना हेतु निर्धारित एलोकेशन अनुसार पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में राज्यांश के रुप में रुपये 310.92 लाख तथा केन्द्रांश के रुप में रुपये 310.92 लाख कुल रुपये 621.84 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,21,84,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

केन्द्र प्रवर्तित गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना अंतर्गत विमुक्त की गई राशि से समतुल्य राज्यांश का व्यय किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना हेतु केन्द्रांश के रुप में रुपये 4.00 करोड़ एवं राज्यांश के रुप में रुपये 4.00 करोड़ इस प्रकार कुल रुपये 8.00 करोड़ लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 65
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1 - 3

किरायें पर लिये गये विमान-हेलीकाप्टर एवं पायलट के देयको, विमान-हेलीकाप्टर ईधन के देयकों तथा विमान बी-200 एवं हेलीकाप्टर बेल-430 के इंजिन ओव्हरहाल तथा रेड जायरों क्रय के देयकों का भुगतान करने हेतु राशि रू. 50,00,000 की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रू. 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67
मुख्य शीर्ष 4408

मद क्रमांक 1

भारत सरकार व्दारा राज्य उपभोक्ता आयोग एवं फोरमों का अधोसंरचना विकास अर्न्तगत उपभोक्ता फोरम के भवन निर्माण कार्यों के लिये राशि रूपये 1,50.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रूपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 69
मुख्य शीर्ष 3425

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश के नागरिकों की सुविधा के लिये कॉल सेन्टर आधारित सिटीजन फैसीलिटेशन सेन्टर तैयार किये जाने हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75
मुख्य शीर्ष 2217

मद क्रमांक 1

मध्यप्रदेश शहरी अधोसंरचना कोष के गठन के लिये राज्य के अंशदान के रुप में राशि रुपये 200.01 लाख का व्यय संभावित है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जाना है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6217

मद क्रमांक 2

प्रदेश में अल्प वर्षा सूखा के कारण पेयजल की कमी को दूर करने के लिये नगरीय निकायों को पेयजल व्यवस्था के लिये कर्ज देने की व्यवस्था की जा रही है। इस हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 77

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की छात्राओं को नि:शुल्क सायकल प्रदाय योजना अन्तर्गत अतिरिक्त राशि रुपये 17.42 करोड़ का व्यय संभावित है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,42,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 78

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1

जैविक खेती की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत मॉडल आर्गनिक फार्म, वर्मीकल्चर, फल, सब्जी, कम्पोस्ट यूनिट, कृषक मेले आदि के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु रुपये 158.00 लाख की आवश्यकता है।

अत: उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,58,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।